भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2783

08 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

अजा/अजजा के लिए कम लागत वाले आवास

2783. श्री सी. एन. अन्नादुरईः
डॉ. डी. रवि कुमारः
डॉ. थोल तिरूमावलवनः
श्री नवसकनी के.:
श्री जी. सेल्वमः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विभिन्न शहरी आवास योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लाभार्थियों को कम लागत वाले आवासों के आवंटन के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत उक्त लाभार्थियों को वर्ष-वार कितने आवास आवंटित किए गए;

(ग) क्या देश भर में विभिन्न शहरी आवास योजनाओं के अंतर्गत निर्मित कम लागत वाले आवास खाली पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) अब तक स्वीकृत आवासों में से कितने आवासीय इकाइयों के निर्माण की आवश्यकता है;

(ङ) ऐसे आवासों को पूरा करने और सौंपे जाने की समय-सीमा का चरण-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश के शहरी क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदित आवासीय परियोजनाओं के रखरखाव और निर्माण के लिए वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित और व्यय की गई?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (च): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, किफायती आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। हालांकि,

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है, ताकि देश भर के शहरी क्षेत्रों में चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी),स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से पक्का घर उपलब्ध कराया जा सके।

एएचपी/आईएसएसआर/बीएलसी घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के माध्यम से किया जाता है और सीएलएसएस के अंतर्गत चयन केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए)/बैंकों/आवास वित्त कंपनियों द्वारा निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाता है:

i. भारत में कहीं भी, अपने या किसी अन्य परिवार के सदस्य के नाम पर पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
ii. बीएलसी/आईएसएसआर/एएचपी घटकों के लिए, लाभार्थी का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
iii. सीएलएसएस घटक के लिए निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणी के लाभार्थियों पर विचार किया गया था। एमआईजी के लिए सीएलएसएस 31.03.2021 को समाप्त हो गया और ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस 31.03.2022 को समाप्त हो गया।

पीएमएवाई-यू योजना दिशानिर्देशों में एएचपी/आईएसएसआर/बीएलसी/सीएलएसएस घटकों के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए विस्तृत पात्रता मानदंड https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/62381c744c188-Updated-guidelines-of-PMAY-U.pdf पर उपलब्ध हैं।

पीएमएवाई-यू का उद्देश्य देश के सभी पात्र शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ हर मौसम के अनुकूल पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, मैनुअल स्कैवेंजर, महिलाओं (विधवाओं, एकल महिलाओं को प्राथमिकता सहित), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, दिव्यांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडरों को प्राथमिकता दी जाती है।

वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को क्रमशः कुल 3.13 लाख, 1.83 लाख और 1.02 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं।

पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने कोई लक्ष्य तय नहीं किया हैं। पीएमएवाई-यू के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 29.07.2024 तक, कुल 118.64 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय के अनुसार, इनमें से 114.40 लाख आवास निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 85.43 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं और 81.67 लाख आवास लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सिविल इंफ्रास्ट्रकचर प्रदान करके और प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों को आवंटन सुनिश्चित करके पीएमएवाई-यू के एएचपी/आईएसएसआर घटक के तहत आवासों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एएचपी/आईएसएसआर घटक के तहत परियोजनाओं की निर्माण अवधि अनुमोदन की तारीख से 12-36 महीने के बीच है। मंत्रालय निर्धारित समय सीमा के भीतर शेष आवासों को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मासिक आधार पर गहन समीक्षा करता है। हालाँकि, इस योजना को सीएलएसएस घटक को छोड़कर 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत सभी आवासों को पूरा किया जा सके।

पीएमएवाई-यू के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके सभी घटकों के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और कब्जा दिए गए आवासों के साथ-साथ स्वीकृत तथा जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत, केंद्रीय सहायता केवल आवासीय परियोजनाओं/इकाइयों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है तथा इन परियोजनाओं/इकाइयों के रखरखाव का कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/यूएलबी/व्यक्तियों द्वारा किया जाता है ।

दिनांक 08.08.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2783 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर अब तक सभी घटकों के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और कब्जा दिए गए आवासों सहित स्वीकृत एवं जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवासों की वास्तविक प्रगति (संख्या)				केंद्रीय सहायता के संबंध में वित्तीय प्रगति (करोड़ रुपए में)	
			स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण/ सुपुर्द किए गए	आबंटित/ कब्जा दिया गया	स्वीकृत	जारी किया
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	21,37,028	19,90,937	9,79,620	8,93,812	32,568.27	23,800.26
2		बिहार	3,14,477	3,05,811	1,48,063	1,48,063	4,950.45	3,368.00
3		छत्तीसगढ़	3,02,663	2,89,329	2,39,645	2,21,140	4,810.98	4,088.81
4		गोवा	3,146	3,146	3,145	3,145	74.76	75.04
5		गुजरात	10,05,204	9,84,304	9,18,493	8,75,007	21,064.34	19,805.76
6		हरियाणा	1,15,034	93,153	68,140	68,140	2,171.64	1,673.50
7		हिमाचल प्रदेश	12,758	12,670	10,715	10,663	215.95	202.02
8		झारखंड	2,29,156	2,13,543	1,43,350	1,40,281	3,603.31	2,987.87
9		कर्नाटक	6,38,121	5,73,205	3,69,566	2,97,772	10,614.43	7,168.29
10		केरल	1,67,322	1,47,916	1,23,626	1,23,525	2,781.18	2,293.45
11		मध्य प्रदेश	9,61,147	9,49,468	8,04,646	7,93,060	15,930.45	15,284.69
12		महाराष्ट्र	13,64,923	11,17,596	8,55,447	7,85,936	25,548.21	19,323.37
13		ओडिशा	2,03,380	1,81,129	1,48,558	1,44,415	3,176.98	2,479.75
14		पंजाब	1,32,235	1,16,674	84,465	84,413	2,342.54	1,825.79
15		राजस्थान	3,19,863	2,66,843	1,93,231	1,86,158	5,891.46	4,693.97
16		तमिलनाडु	6,80,347	6,63,642	5,70,674	5,16,605	11,185.30	10,134.92
17		तेलंगाना	2,50,084	2,44,219	2,24,679	1,64,862	4,475.66	3,718.27
18		उत्तर प्रदेश	17,76,823	17,33,290	15,67,031	15,37,994	27,962.68	26,411.68
19		उत्तराखंड	64,391	60,267	34,612	33,818	1,176.51	940.86
20		पश्चिम बंगाल	6,68,953	6,13,489	4,01,242	4,01,002	10,773.50	7,675.93
उप-योग (राज्य)			**1,13,47,055**	**105,60,631**	**78,88,948**	**74,29,811**	**1,91,318.59**	**1,57,952.25**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	8,499	8,070	7,851	6,315	182.38	161.18
22		असम	1,76,643	1,61,034	1,03,670	1,03,670	2,674.26	2,065.73
23		मणिपुर	56,037	48,658	14,712	14,712	841.39	471.91
24		मेघालय	4,758	3,794	1,633	1,633	72.35	43.31
25		मिजोरम	39,605	39,215	11,133	11,133	607.8	447.22
26		नागालैंड	31,860	31,841	23,333	23,301	503.91	393.41
27		सिक्किम	316	316	202	202	6.13	7.09

28		त्रिपुरा	92,854	84,916	74,167	74,167	1,494.35	1,273.47
उप-योग (उत्तर पूर्वी राज्य)			**4,10,572**	**3,77,844**	**2,36,701**	**2,35,133**	**6,382.57**	**4,863.31**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	376	376	47	47	5.84	2.93
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	1,256	1,256	28.78	28.78
31		दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	9,947	9,947	9,230	7,992	214.4	200.27
32		दिल्ली	29,976	29,976	29,976	29,976	692.53	692.53
33		जम्मू और कश्मीर	47,040	42,942	24,622	24,622	724.94	483.48
34		लद्दाख	1,307	1,014	843	843	30.22	24.05
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
36		पुदुचेरी	15,995	15,308	10,026	10,026	254.12	223.19
उप-योग (यू.टी.)			**1,05,897**	**1,00,819**	**76,000**	**74,762**	**1,950.84**	1,655.23
कुल योग			**118.64 लाख**	**114.40 लाख***	**85.43 लाख***	**82.19 लाख***	**2.00 लाख करोड़.**	**1.64 लाख करोड़.**

**इसमें मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के पूर्ण हो चुके (3.41 लाख)/ कब्जा प्राप्त (4.8 लाख)/निर्माणाधीन (4.01 लाख) आवास शामिल हैं।*